न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना,आई.ए.एस.

अपील संख्या : 79/2011 एल.आर. एक्ट

नगरपालिका, श्रीडूँगरगढ जरिये अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री हुलासचन्द जाति माली निवासी कस्बा श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर (मृत्यू)
1/1 छोटीदेवी पत्नी स्व. कन्हैयालाल जाति माली(सैनी) निवासी मोमासर बास तहसील श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर।
1/2 जगदीश पुत्र स्व. कन्हैयालाल जाति माली(सैनी) निवासी मोमासर बास तहसील श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर।
1/3 हरीश कुमार पुत्र स्व. कन्हैयालाल जाति माली(सैनी) निवासी मोमासर बास तहसील श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर।
1/4 महेश सैनी पुत्र स्व. कन्हैयालाल जाति माली(सैनी) निवासी मोमासर बास तहसील श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :–

श्री सुरेश मोहता – अभिभाषक अपीलांट्
श्री सत्यनारायण तिवाड़ी – रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/1 ता 1/4
श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 28–01–2020

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ के निर्णय दिनांक 09–07–2010 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कस्बा श्रीडूँगर स्थित ख.नं. 341/1, 355/1, 356, 417/1, 419, 423/1, 428, 435, 443/8, 445, 612/458, 460/1, 467/1, 469, 597/471, 491/6, 491/11, 494/1, 587/496, 596/500, 502/8, 621/514, 503/1 तथा 505/1 कुल किता 25 जादादी 678.18 बीघा भूमि राज्य सरकार के आदेशानुसार नगरपालिका को देने का आदेश दिया गया था। जिसके उक्त खसरों की भूमि नगरपालिका,श्रीडूँगरगढ को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हस्तान्तरित की गई और नगरपालिका,श्रीडूँगरगढ के नाम इन्तकाल संख्या 1389 दर्ज कर दिया गया तथा डीएलसी दर के अनुसार रकम रूपये 6095 जरिये चालान संख्या 286 दिनांक 24.3.05 से जमा करवाये गये और कब्जा नगरपालिका श्रीडूँगरगढ को सुपूर्द किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 ख.नं. 341 व 355 का खातेदार काश्तकार कभी भी नहीं रहा है तथा ना ही उक्त भूमि पर उसका कभी स्वामित्व व निरन्तर कब्जा रहा है, बल्कि वह उक्त कृषि भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने की कोशिशे की, किन्तु इससे उसे कोई हक या अधिकार हासिल नहीं हुऐ है। रेस्पोडेंट नं. 1 के पास कोई खातेदारी अधिकार नहीं है। रेस्पोडेंट द्वारा इन्तकाल संख्या 1389 के विरूद्व न्यायालय अति. कलक्टर, बीकानेर में दायर अपील को न्यायालय ने दोनों पक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ को रिमाण्ड किया गया, जिसमें तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर निर्णय दिनांक 19.4.2010 से नामान्तरकरण संख्या 1389 को यथावत रखा गया। रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा इस निर्णय की कोई अपील नहीं की अपितु दिनांक 14.5.10 को मातहत अदालत में रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बाद सुनवाई रिव्यु निर्णय दिनांक 9–7–10 को पारित कर आदेश दिये गये कि ग्राम श्रीडूँगरगढ के नामान्तरकरण संख्या 1389 में अंकित ख.नं. 341/1 में रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नं. 355/1 में रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा गैरसायल कन्हैयालाल की कब्जाशुदा भूमि को छोड़कर शेष भूमि ख.नं. 341/1 व 355/1 एवं अन्य खसरा का निर्णय यथावत रखा जाता है। इस आदेश के विरूद्व पहले अति. कलक्टर, बीकानेर के यहां अपील प्रस्तुत की गई जहां पर इन्तकाल की कार्यवाही विवादित होना मानते हुऐ पारित आदेश दिनांक 23.3.2011 से अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर के यहां होना ही करार दिया, जिसमें जो समय लगा वह सदभाविक रूप से कार्यवाही में लगा तथा उक्त निर्णयों व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने तथा विधिक राय लेने तथा प्रशासनिक स्वीकृति लेने में भी समय लगा जिसके लिये धारा 5

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मियाद अधिनियम का प्रार्थना मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुऐ विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील मीमो के बिन्दुओं को ही अपनी बहस बताते हुऐ निवेदन किया कि रेस्पोडेंट नं 1 विवादित भूमि का खातेदार नहीं है तथा विवादित भूमि पर उसका कभी भी स्वामित्व व निरन्तर कब्जा नहीं रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 ता 1/4 के अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर दौराने बहस कंहा कि रेस्पोडेंट के पिता श्री कन्हैयालाल पुत्र हुलासचन्द जाति माली को तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ़ द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 के तहत बने राजस्थान भूमि आवंटन नियम 1957 के अन्तर्गत दिनांक 03–06–1963 को ख. नं. 341 मीन में 15 बीघा रकबा तीन साला (टी.सी.) आवंटन किया गया था। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 31.7.1968 के द्वारा आवंटन शुद्वा भूमि के नवीनीकरण के संबंध में निर्देश दिये गये कि जिन जिलों में तीन वर्षो के लिये भूमि का आवंटन किया जाता था उन जिलों में आवंटन दस वर्षो के लिये अन्य जिलों की तरह किया जाना चाहियें। पूर्व में जो आवंटन किये गये है उनकी अवधि दस वर्ष कर दी जावें, जिससे नियमानुसार आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सके। जिस आवंटी द्वारा तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर आवंटन संबंधी आदेशों का नवीनीकरण नहीं किया गया है और आवंटन की शर्तो की यथावत पालना की गई है तो उनके विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर ऐसे मामलों में बेदखली के आदेश प्रदान किये गये हो तो उन्हें भी सुओमोटो रिव्यु कर शेष अवधि के लिये आवंटन के नवीनीकरण के आदेश प्रसारित किये जावें। अपीलांट्स के पिता कन्हैयालाल ने उपखण्ड अधिकारी(उत्तर), बीकानेर में खसर नं. 341 में 4 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नं. 355 में 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि का नियमन करने का प्रार्थना पत्र संख्या 218/01 पेश किया, जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(उत्तर), बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 26.02.

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2002 के द्वारा प्रार्थी का पिछले 30–35 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त की रिपोर्ट (पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.05.2001) के आधार पर प्रार्थी का प्रकरण नियमन योग्य माना तथा तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ की लैण्ड एडवाईजरी कमेटी की मिटिंग में आवंटन एवं नियमन हेतु रखे जाने की सिफारिश की गई एवं प्रार्थी को बेदखल नहीं किये जाने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्व तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ ने कोई अपील पेश नहीं की और उक्त आदेश दिनांक 26.02.2002 फाईनल हो गया। नामान्तरकरण संख्या 1389 द्वारा वादगत भूमि खसरा नं. 341 में 4 बीघा 11 बिस्वा व ख.नं. 355 में 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि नगरपालिका, श्रीडूँगरगढ के नाम दर्ज कर दी गई जिसके विरूद्व कन्हैयालाल द्वारा अति.कलक्टर,(प्रशासन), बीकानेर में दायर अपील में निर्णय दिनांक 9.2.2009 से नामान्तरकरण संख्या 1389 वादगत भूमि की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया। रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ ने अपने निर्णय दिनांक 19.4.2010 को निर्णय दिनांक 09.07.2010 से रिव्यू कर दिया। इस रिव्यू आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की गई है। यह अपील मियाद बाहर पेश की गई है। मियाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को भले ही रेस्पोडेंटान द्वारा आपत्ति नहीं करने पर भी स्वयं अदालत को इसी मियाद के बिन्दु पर खारिज की जा सकती है। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में संतोषप्रद कारण भी अंकित नहीं है। अपीलांट ने धारा 5 के साथ धारा 14 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन करने का निवेदन किया है इस धारा में बोनाफाईड शब्द आया है। मामले हाजा में अपीलांट किसी भी तरीके से अपने आप को बोनाफाइड साबित नहीं कर पाये है। अपीलांट का उसके आवंटन के दिन से ही लगातार कब्जा है तथा आवंटन के दिन भूमि नगरीय सीमाओं में नहीं थी। कानून का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि अनऑक्यूपाईड लैण्ड को ही किसी के नाम आंवटित किया जा सकता है अथवा किसी इन्तकाल के द्वारा चढाया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में मूतनाजा भूमि में ऑक्यूपाईड लैण्ड थी। रेस्पोडेंट का वर्ष 1963 से लगातार कब्जा चला आ रहा था।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इस कारण इस भूमि को नगरपालिका के नाम चढाने का अधिकार नही था। रेस्पोडेंट कन्हैयालाल ने तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ के आदेश दिनांक 19.4.2010 के विरूद्व नजरसानी प्रस्तुत की थी कानूनन अगर कोई व्यक्ति किसी आदेश से व्यथीथ है तो वह उसी न्यायालय मे नजरसानी पेश सकता है। नजरसानी में तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ को बताया गया कि उन्होने अपने आदेश में उन दस्तावेजात को नहीं देखा जो इस केस के लिए महत्वपूर्ण थे इस पर तहसीलदार ने सम्पूर्ण पत्रावली में उपलब्ध कथनों व दस्तावेजात का गंभीरता से अध्ययन कर रिव्यू आदेश पारित करने में कोई गलती नहीं की है। रेस्पोडेंट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर. डी. 1964 पृष्ठ 338 'बी' राज. हाईकोर्ट, आर.एल.डब्ल्यू. (राज)(2)2006 पृष्ठ 873 डीबी (आरबी), ए.आई.आर. 1999 एससी पृष्ठ 738, आर.आर. डी. 1955 पृष्ठ 252(आरबी), डी.एन.जे. 1999 पृष्ठ 56, आर.आर.डी. 1980 एनयूसी 20, आर.आर.टी. 2014 (1)पृष्ठ 154, आर.आर.टी. 2011 (1)पृष्ठ 614, आर.आर.टी. 2007 (2)पृष्ठ 939, आर.बी.जे. 2000 पृष्ठ 71 (72), ए.आई.आर. 1998 एससी पृष्ठ 2276 पैरा 6, आर.आर.डी. 1995 पृष्ठ 456, आर.आर.डी. 1960 पृष्ठ 42, आर.आर.डी. 1967 पृष्ठ 288, ए.आई.आर. 2005 एससी पृष्ठ 592, एवं आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 815 न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुऐ अपील अपीलांट खारिज करने हेतु निवेदन किया ।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6. हमने अपीलांट के विद्वान अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक एवं विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है।

यह अपील ग्राम श्रीडूँगरगढ के नामान्तरकरण संख्या 1389 में अंकित ख.नं. 341/1 की 4 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नं. 355/1 की 8 बीघा 16 बिस्वा गैर सायल कन्हैयालाल की कब्जा शुदा भूमि को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

छोड़ कर शेष खसरों की भूमि का निर्णय यथावत रखे जाने के तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ के रिव्यू निर्णय दिनांक 9–7–2010 के विरूद्व नगरपालिका श्रीडूँगरगढ द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसमें नगरपालिका श्रीडूँगरगढ के विद्वान अभिभाषक के कथनानुसार कस्बा श्रीडूँगरगढ के नामान्तरकरण संख्या 1389 में दर्ज खसरों की समस्त खसरों की भूमि नगरपालिका, श्रीडूँगरगढ के स्वामित्व की है। रेस्पोडेंट नं. 1 कभी भी ख.नं. 341/1 की 4 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नं. 355/1 की 8 बीघा 16 बिस्वा का खातेदार काश्तकार नहीं है। तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ ने अपने निर्णय दिनांक 19.04.10 में यह माना है कि कन्हैयालाल द्वारा किसी प्रकार का वैध कब्जा, खातेदारी गैर खातेदारी के संबंध मे कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया है। बिना आधार के नामान्तरकरण संख्या 1389 के निर्णय मे परिवर्तन करना उचित नहीं समझते हुऐ नामान्तरकरण संख्या 1389 को यथावत रखा गया। रेस्पोडेंट नं 1 विवादित भूमि का खातेदार नहीं है।

रेस्पोडेंट संख्या 1/1 ता 1/4 के विद्वान अभिभाषक का मुख्य कथन यह है कि यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जिसमें मियाद अधिनियम की धारा 5 में संतोषप्रद कारण अंकित नहीं हैं। अपीलांट का आवंटन के दिन से ही लगातार कब्जा है तथा आवंटन के दिन भूमि नगरीय सीमाओं में नहीं थी। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनानुसार स्पष्ट है कि तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ के रिव्यू आदेश दिनांक 09.07.2010 की अपील अतिरिक्त कलक्टर, बीकानेर के समक्ष किये जाने पर अतिरिक्त कलक्टर, बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 23.03.2011 न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण अपील खारिज कर दी। तत्पश्चात इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11.08.2011 को पेश हुई है, अतिरिक्त कलक्टर, बीकानेर में लगे समय को छोड़ते हुऐ यह अपील इस न्यायालय में करीब 5 माह 18 दिन बाद मियाद बाहर पेश हुई है जो स्पष्टतयः मियाद बाहर है। तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ ने गैर सायल के रिव्यू प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूतो, बयान गवाहान के अनुसार गैर सायल श्री कन्हैयालाल का उक्त विवादगत भूमि पर अधिसूचना जारी होने से पूर्व का लगातार कब्जा साबित

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

होना मानते हुऐ रिव्यू आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर एवं मैरिट पर संधारणीय नहीं है।

अतः अपील अपीलांट खारिज कर तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ का निर्णय दिनांक 09–07–2010 को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक **28–01–2020** को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर